



2026:AHC:129696

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या - 21861/2026

अमित पाल आवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य विपक्षी(गण)

आवेदक(गण) के अधिवक्ता: हरियाली शर्मा, पल्लवी उपाध्याय, रेखा शर्मा

विपक्षी(गण) के अधिवक्ता: शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 69

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना गया एवं केस डायरी/अभिलेख का सम्यक अवलोकन किया गया।
- यह प्रस्तुत जमानत प्रार्थना पत्र, मुकदमा अपराध संख्या 164/2026, भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 191(1), 191(2), 115(2), 127(2), 333, 324(3), 352, 61(2), 121(2), 131, 125, 285, 195(1), 190, 191(3), 324(4), 324(5), 109(1), 326(च) तथा आपराधिक विधि (संशोधन) अधिनियम की धारा 7 एवं सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा 3/4, के अंतर्गत थाना- फेज-2, जिला- नोएडा (कमिश्नरेट), गौतम बुद्ध नगर आवेदक को जमानत पर रिहा किए जाने हेतु प्रार्थना के साथ दायर किया गया है।
- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि आवेदक को प्रस्तुत मुकदमा में झूठा फँसाया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई गई थी, जो संभवतः दंगा करने में लिप्त एक भीड़ थी। विद्वान अधिवक्ता ने आगे तर्क दिया है कि विवेचना के दौरान अन्य सह-आयुक्तों विजय मौर्या, अंकेश रावत और शिव कुमार उर्फ शिवा के साथ आवेदक का नाम सामने आया, जिन्हें इस न्यायालय द्वारा आपराधिक प्रकीर्ण जमानत प्रार्थना पत्र संख्या 20080/2026, 20101/2026 और 20603/2026 में

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



जमानत दी जा चुकी है। आवेदक का मुकदमा सह-आयुक्त के समान है। आवेदक का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास नहीं है। हालाँकि, प्रस्तुत मुकदमा के साथ-साथ आवेदक को अन्य मुकदमा में भी फँसाया गया है। आवेदक का मुकदमा सह-आयुक्त के समक्ष है। वह तर्क दिया है कि आवेदक 09.05.2026 से जेल में है।

4. दूसरी ओर, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने जमानत दिए जाने के अनुरोध का पुरजोर विरोध किया है और तर्क दिया है कि घटना सीसीटीवी फुटेज में कैद हुई है, जिसमें एकत्रित भीड़ ने बड़े पैमाने पर संपत्ति को नुकसान पहुँचाया था। घटनास्थल पर मौजूद पुलिस कर्मियों को भी चोटें आई हैं। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख के अवलोकन से आवेदक की पहचान की गई है और व्हाट्सएप चैट भी बरामद की गई हैं, जो आवेदक की संलिप्तता को दर्शाती हैं, जिसने पूर्वनियोजित तरीके से घटना में भाग लिया था। - हालाँकि, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता इस तथ्य से इनकार नहीं कर सके कि समान स्थिति वाले तीन सहअभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है।
5. मैंने पक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई दलीलों पर विचार किया है।
6. आवेदक 9 मई 2026 से जेल में है। आवेदक के विरुद्ध प्रस्तुत मुकदमा से पूर्व कोई अन्य आपराधिक मुकदमा दर्ज होना नहीं बताया गया है। समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त विजय मौर्य, अंकेश रावत और शिव कुमार उर्फ शिवा को इस न्यायालय द्वारा जमानत दी जा चुकी है।
7. मामले के सभी तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, प्रथम दृष्टया, जमानत का मुकदमा बनता है।
8. जमानत आवेदन **स्वीकार** किया जाता है।
9. अभियुक्त- आवेदक अमित पाल, जो उपर्युक्त मुकदमा अपराध संख्या में शामिल है, को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि हेतु उतनी ही राशि के व्यक्तिगत मुचलके और दो विश्वसनीय जमानतदारों को प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:
 - i. आवेदक साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।
 - ii. आवेदक किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा।



- iii. आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा-धमकाएगा नहीं और विचारण न्यायालय में सहयोग करेगा।
- iv. आवेदक विचारण न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रत्येक तारीख पर नियमित रूप से उपस्थित होगा, जब तक कि संबंधित न्यायालय द्वारा उसकी व्यक्तिगत उपस्थिति से छूट न दी गई हो।
10. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने की स्थिति में, विचारण न्यायालय उसकी जमानत रद्द करने की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र होगी।
11. यह स्पष्ट किया जाता है कि आवेदक को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट से डाउनलोड की गई इस आदेश की कंप्यूटर-जनित प्रति के आधार पर रिहा किया जाएगा, जिसे संबंधित अधिवक्ता द्वारा इस शपथ/आश्वासन के साथ सत्यापित किया गया हो कि प्रमाणित प्रति 15 दिनों के भीतर दाखिल कर दी जाएगी।
12. यह भी निर्देशित किया जाता है कि विचारण न्यायालय आवेदक की शीघ्र रिहाई सुनिश्चित करने के लिए बेल ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के माध्यम से संबंधित जेल को रिहाई आदेश भेजेगा।
13. उपर्युक्त की गई टिप्पणियाँ विशेष रूप से इस तात्कालिक जमानत आवेदन के निर्णय हेतु हैं और इन्हें मामले के गुणदोष- पर कोई राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

30 जून, 2026